मूल वाद में फाइनल डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

मूर्ति मंदिर श्री सरस्वतीनाथ जी विराजमान उम्मेदगंज तहसील लाडपुरा जिला कोटा जरिये पुजारी व संरक्षक गोपालनाथ (मृतक) जरिये मुकामानः-

1/1-रामनारायण पुत्र स्व0 गोपालनाथ

1/2-रमेश योगी पुत्र स्व0 गोपालनाथ

1/3-सत्यनारायण योगी पुत्र गोपालनाथ

1/4-कमलेश योगी पुत्र स्व0 गोपालनाथ

1/5-पुष्पलता पुत्री स्व0 गोपालनाथ

1/6-श्रीमती दाखा बाई विधवा पत्नि स्व0 गोपालनाथ जाति नाथ, निवासीगण उम्मेदगंज तह0 लाडपुरा कोटा।

बनाम

1.रघुनाथ कुशवाह (मृतक) जरिये कायम मुकामानः-

1/1- मनोज पुत्र स्व0 रघुनाथ

1/2- तलसीराम पुत्र स्व0 रघुनाथ जाति कुशवाह निवासीगण खेडा रसूलपुर, तह0 लाडपुरा जिला कोटा

1/3- गंगाबाई पुत्री स्व0 रघुनाथ पत्नि अर्जुन जाति कुशवाह निवासनी ग्राम बोरखेडा तह0 लाडपुरा जिला कोटा

1/4- मंजू बाई पुत्री स्व0 रघुनाथ पत्नि प्रभूलाल जाति कुशवाह निवासनी ग्राम जालखेडा तह0 लाडपुरा जिला कोटा

1/5- ललिता पुत्री स्व0 रघुनाथ पत्नि किशनमुरारी जाति कुशवाह निवासनी बून्दी धाबाईयों का मोहल्ला जिला बूंदी राज0

2.रामनारायण कुशवाह पुत्र श्री शंकर जी कुशवाह जाति काछी निवासी खेडा रसुलपुर तह0 लाडपुरा जिला कोटा।

3.गोरधन कुशवाह पुत्र माधो जी (मृतक) जरिये कायम मुकामान

3/1- पार्वति पत्नि स्व0 गोरधन जाति काछी कुशवाह

3/2- मोलू लाल पुत्र स्व0 गोरधन जी जाति काछी कुशवाह निवासीगण खेडा रसुलपुर तह0 लाडपुरा जिला कोटा।

4.कोशल आत्मज पांचू कुशवाह जाति काछी कुशवाह निवासीगण खेडा रसुलपुर तह0 लाडपुरा जिला कोटा।

5.राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

6.रामप्यारे लाल पुत्र पांचू (मृतक) जरिये कायम मुकामान-

6/1- धन्नी बाई बेवा स्व0 रामप्यारे लाल

6/2- रामस्वरूप पुत्र स्व0 रामप्यारे लाल

6/3- इन्द्रराज पुत्र स्व0 रामप्यारे लाल

6/4- प्रहलाद पुत्र स्व0 रामप्यारे लाल

6/5- बरखा बाई पुत्री स्व0 रामप्यारे लाल

6/6- जानकी बाई पुत्री स्व0 रामप्यारे लाल जाति कुशवाह निवासीगण धाकड़खेडी, तह0 लाडपुरा जिला कोटा।

-:: वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ::-

मुकदमा नं. **126/2014 (दावा)**

इस वाद में आज तारीख को वादीगण के वाद एवं प्रतिवादीगण के काउंटर क्लेम में फाइनल डिक्री जारी की जाती है कि वादीगण का वाद रेसजुडीकेटा से प्रभावित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि वे भू प्रबंध विभाग द्वारा किये गये परिवर्तनों की शुद्धि हेतु सक्षम न्यायालय मे चाराजोरी करे।

यह डिक्री आज तारीख 11 माह 06 सन् **2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वाद के खर्चे

वदी	रूपये	प्रतिवादी	रूपये
1. वादपत्र के लिये स्टाम्प 2 षक्तिपत्र के लिये स्टाम्प 3. प्रदर्षो के लिये स्टाम्प 4.....रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों केलिये निर्वाह व्यय 6. कमिष्नर की फीस 7. आदेषिका की तामील		शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प अर्जी के लिये स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय आदेषिका की तामील कमिश्नर की फीस	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.—0744—2325871

मिसल नम्बर—126/2014

1. मूर्ति मंदिर श्री सरस्वतीनाथ जी विराजमान उम्मेदगंज तहसील लाडपुरा जिला कोटा जरिये पुजारी व संरक्षक गोपालनाथ (मृतक) जरिये मुकामानः—
   1. रामनारायण पुत्र स्व0 गोपालनाथ
   2. रमेश योगी पुत्र स्व0 गोपालनाथ
   3. सत्यनारायण योगी पुत्र गोपालनाथ
   4. कमलेश योगी पुत्र स्व0 गोपालनाथ
   5. पुष्पलता पुत्री स्व0 गोपालनाथ
   6. श्रीमती दाखा बाई विधवा पत्नि स्व0 गोपालनाथ जाति नाथ,
      निवासीगण उम्मेदगंज तह0 लाडपुरा कोटा।

—वादीगण

बनाम

1. रघुनाथ कुशवाह (मृतक) जरिये कायम मुकामानः—
   1/1— मनोज पुत्र स्व0 रघुनाथ
   1/2— तलसीराम पुत्र स्व0 रघुनाथ जाति कुशवाह
   निवासीगण खेडा रसूलपुर, तह0 लाडपुरा जिला कोटा
   1/3— गंगाबाई पुत्री स्व0 रघुनाथ पत्नि अर्जुन जाति कुशवाह
   निवासनी ग्राम बोरखेडा तह0 लाडपुरा जिला कोटा
   1/4— मंजू बाई पुत्री स्व0 रघुनाथ पत्नि प्रभूलाल जाति कुशवाह
   निवासनी ग्रूम जालखेडा तह0 लाडपुरा जिला कोटा
   1/5— ललिता पुत्री स्व0 रघुनाथ पत्नि किशनमुरारी जाति कुशवाह
   निवासनी बून्दी धाबाईयों का मोहल्ला जिला बूंदी राज0
2. रामनारायण कुशवाह पुत्र श्री शंकर जी कुशवाह जाति काछी
   निवासी खेडा रसुलपुर तह0 लाडपुरा जिला कोटा।
3. गोरधन कुशवाह पुत्र माधो जी (मृतक) जरिये कायम मुकामान
   3/1— पार्वति पत्नि स्व0 गोरधन जाति काछी कुशवाह
   3/2— मोडू लाल पुत्र स्व0 गोरधन जी जाति काछी कुशवाह
   निवासीगण खेडा रसुलपुर तह0 लाडपुरा जिला कोटा।
4. कोशल आत्मज पांचू कुशवाह जाति काछी कुषवाह
   निवासीगण खेडा रसुलपुर तह0 लाडपुरा जिला कोटा।
5. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

6. रामप्यारे लाल पुत्र पांचू (मृतक) जरिये कायम मुकामान–
   6/1– धन्नी बाई बेवा स्व0 रामप्यारे लाल
   6/2– रामस्वरूप पुत्र स्व0 रामप्यारे लाल
   6/3– इन्द्रराज पुत्र स्व0 रामप्यारे लाल
   6/4– प्रहलाद पुत्र स्व0 रामप्यारे लाल
   6/5– बरखा बाई पुत्री स्व0 रामप्यारे लाल
   6/6– जानकी बाई पुत्री स्व0 रामप्यारे लाल जाति कुशवाह
   निवासीगण धाकडखेडी, तह0 लाडपुरा जिला कोटा।

–प्रतिवादीगण

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188,183 के तहत् प्रार्थना पत्र।)
दिनांक 11/6/25

उपस्थित–
1.श्री शम्भूदयाल विजय अभिभाषक वादीगण
2.श्री उत्तमचंद खण्डेलवाल अभिभाषक प्रतिवादीगण।

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई प्रकरण निम्न प्रकार है:–

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्त के तहत प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि:–

- वादी ग्राम उम्मेदगंज तह0 लाडपुरा जिला कोटा का निवासी है तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 भी खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0 के निवासी है प्रतिवादी संख्या 05 राज्य सरकार है जो इस वाद मे आवश्यक पक्षकार है और भूमिधारी है।
- ग्राम उम्मेदगंज–आसन का तलाव मे सरस्वतीनाथ का मंदिर व इससे पूर्व हिंगलाज माता का मंदिर स्थित रहा है। उक्त हिंगलाज माता का मंदिर सं0 1443 के साल में माता हिंगलाज के द्वारा आषीर्वाद देने पर हिंगलाज माताजी को सरस्वतीनाथ जी ने बिराजमान किया तथा इस माताजी की कृपा से महाराजा उम्मेद सिंह जी के नारकियों को शेर बना दिया और यह सारा मामला दिखाने पर महाराजा उम्मेद सिंह जी ने काफी जमीन इस मंदिर के नाम की तथा मंदिर सरस्वतीनाथ जी का भी बनाया। तथा आस पास अनेक प्रकार के देवस्थान बनाये। इन सभी देवस्थानों की सेवा पूजा अर्चना करने हेतु तेल भोग एवं पुजारी के जीविकोपार्जन हेतु ग्राम खेड़ा रसुलपुर में खसरा नं० 186 की 1.66 हे0, खसरा नं० 187 की 1.70 हे0, खसरा नं० 236 की 1.99 हेक्टर, खसरा नं० 468 की 0.63 हेक्टर कुल चार किता की कुल रकबा 5.98 हेक्टर आराजी काश्त कर खर्चा चलाने हेतु दी गई।
- सरस्वतीनाथ जी के बाद उनके मंदिर एवं हिंगलाज माता एवं बिराजमान समस्त देवीदेवताओं एवं समाधियों की सेवा पूजा अर्चना सरस्तीनाथ जी के वारिसान करने

उपखण्ड अधिकारी
को.

लगे तथा सरस्वती नाथ के बाद अब तक 10 पीढी गुजर चुकी है तथा उसके बाद वादी उक्त मंदिर व उक्त आराजियात की व्यवस्था करता चला आ रहा है। तथा गोपाल नाथ के द्वारा वादी को उक्त सेवा पूजा अर्चना एवं मंदिर की सार संभाल व आराजियात की व्यवस्था करने हेतु वादी को रखा और गोद पुत्र की हैसियत से वादी निरन्तर काबिज काश्त करता चला आ रहा है।

- सेवा पूजा हिंगलाज माताजी की, सरस्वती जी की व अन्य संतों की समाधियों की करने में काफी समय लगता था और इस कारण से वादी अपनी माफी की आराजी जो सरस्वती नाथ जी को महाराज उम्मेद सिंह जी के द्वारा दी गई थी, उसकी व्यवस्था करने में असमर्थ रहा। ओर उक्त आराजी को मेरे द्वारा मुनाफा काश्त से माधो कुषवाह जो खेड़ा रसूलपुर का रहने वाला था उसको दे दिया तथा माधो हर साल मुनाफा काश्त की रकम वादी को पूर्ण ईमानदारी से देता चला आ रहा था। माधो की मृत्यु होने के बाद माधो के पुत्र रघुनाथ ने उक्त आराजी को मुनाफा काश्त से लिया। तथा रघुनाथ ने कहा कि हम चारों व्यक्ति यानि प्रतिवादी नं० 1 लगायत 4 उक्त आराजी को काष्त करेंगें और अच्छी फसल तैयार कर अच्छा मुनाफा काश्त आपको देगें ताकि उससे आपके मंदिरों का व आपके परिवार का खर्चा आराम से चल सकेगा। इस पर वादी राजी को गया और प्रतिवादीगण उक्त आराजी को मुनाफा काश्त करने लग गये।
- शुरू के तीन–चार साल तक तो प्रतिवादीगण ने मुनाफा काष्त की रकम दी लेकिन पूरी नही दी, और तीन चार साल से तो रकम देना ही बन्द कर दिया तथा जब वादी कहता था कि या तो तुम मुझको मुनाफा की रकम दो या फिर मेरी जमीन जो माफी मंदिर की है वह वापिस संभालाओं। इस पर प्रतिवादी गण कहते थे कि आपका और हमारा बडे बुढों के समय से ही आपसी प्रेम चला आ रहा है, हमारे ऊपर आपको विश्वास नही है क्या, हम जब भी अच्छी फसल होगी तब ही उक्त सारी मुनाफा काश्त की रकम एक मुश्त आपको अदा कर देगें।
- वादी जब ग्राम खेड़ा रसूलपुर गया तो उसको वहां के लोगों ने बताया कि तुम्हारे मंदिर की जगीन को तो प्रतिवादी गण ने बैंक में रहन करदी है। इस पर वादी को शंका हुई ओर वादी ने बैंक में जाकर सब कुछ मालूमात किया तो पता चला कि प्रतिवादी नं० 1 ने प्रतिवादी नं० 2 लगायत 4 से साजिष कर उक्त माफी की भूमि को गिरवी रखकर ऋण प्राप्त कर लिया लेकिन यह जरूर है कि प्रतिवादी नं० 1 ने बैंक का सारा ऋण चुका दिया जिसकी नो ड्यूज प्रमाण पत्र बैंक द्वारा दिनांक 5.9.2005 को जारी किया गया जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।
- प्रतिवादी गण को माफी मंदिर सरस्वतीनाथ जी पर कब्जा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। वादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वादी प्रतिवादी गण के विरुद्ध यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर उनसे आराजी पर कब्जा माननीय न्यायालय की सहायता से प्राप्त करें और प्रतिवादी गण को स्थायी निषेधाज्ञा से भी पाबन्द करावें कि प्रतिवादी गण पूर्व की भांति उक्त आराजी को रहन, बैय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नही करें।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

- वाद कारण दिनांक 5.9.05 को बैंक से जानकारी मिलने व उसके बाद दिनांक 10.9.05 को प्रतिवादी गण से मिलने पर उनके द्वारा सुनाफा काश्त की राशि देने से इंकार करने व जमीन पर कब्जा वापिस नहीं संभालाने से इंकार करने पर उत्पन्न हुआ।
- **अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि** 1. वादी के पक्ष में व प्रतिवादी गण 1 लगायत 4 के विरूद्ध इस आशय की निर्णय एवं डिक्री जारी की जावे कि प्रतिवादी गण वादी को वाद पत्र की मद नं० 2 में वर्णित आराजी माफी सरस्वती नाथ का कब्जा संभालाया जावें। 2. वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी गण उक्त माफी सरस्वती नाथ जी की आराजी को कहीं बेचान, रहन व अन्य किसी प्रकार खुर्द बुर्द नही करें और नही अपने किसी एजेन्टों से ही करावें ।

प्रतिवादी संख्या 06 के कायम मुकामान की ओर निम्न प्रतिवाद पत्र एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार है:–

- वादग्रस्त भूमि कभी भी मूर्ति मंदिर सरस्वती नाथ की माफी की भूमि नही थी। वास्तविकता यह है कि सरस्वती नाथ एक जीवित व्यक्ति था जो नाथ सम्प्रदाय का था
- वादग्रस्त भूमि पर सरस्वतीनाथ अथवा उसके वारिसान ने कभी भी काष्त नही की। उक्त भूमि पर पूर्व मे श्री गोपाल काछी, तथा उनके स्वर्गवास के पष्चात गोपाल जी के वारिसान माधो जी आदि तथा वर्तमान मे प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 4 एवं रामप्यारेलाल काछी काबिज होकर काश्त कर रहे है इस प्रकार वादी का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा काष्त नही रहा।
- वादग्रस्त माफी की भूमी सरस्वतीनाथ के बाद दिनांक 24.5.1921 को महकमा खास कोटा रियासत द्वारा सरस्वती नाथ की पोत्री अर्थात गोगानाथ की पुत्री के नाम दर्ज करने का आदेश दिया, जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में जरिये इन्तकाल संख्या 582 दिनांक 10.6.1921 को किया गया, इस प्रकार उक्त भूमी मोत्यांबाई को माफी में प्राप्त हुई, मूर्ति मंदिर को न तो कभी भूमि दी गई और न ही ग्राम उम्मेदगंज में मंदिर सरस्वती नाथ ही स्थित है और मंदिर हो भी नहीं सकता था क्योंकि सरस्वती नाथ जीवित व्यक्ति था।
- राजस्थान में जागीर रिजम्शन एक्ट लागू होने के बाद सभी जागीरे की माफीयां राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर समाप्त कर दी गई। उसी क्रम में वादग्रस्त भूमि की माफी भी दिनांक 1.07.1963 को रिज्यूम करदी गई। वक्त रिजम्शन जागीर एवं माफी तथा उक्त अधिनियम के प्रभावशील होने से पूर्व ही प्रतिवादीगण के पूर्वज वादग्रस्त भूमि पर बहैसियत सब टिनेन्ट काबिज थे तथा कानूनन वादग्रस्त भूमि के प्रतिवादीगण के पूर्वज भूमि के स्वतः ही खातेदार हो गये तथा खातेदार टीनेन्ट की हैसियत से खातेदार काबिज रहे ।

उपखण्ड अधिकारी
को.

- श्रीमति मोत्यांबाई पुत्री गोगानाथ द्वारा प्रतिवादी कम 3 के दादाजी माधो जी एवम उनके भाई शंकर व पांच्या के विरूद्ध धारा 183 व 188 आर० टी०एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां वाद प्रस्तुत किया और उक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 15.12.1969 को वादी का वाद निरस्त करते हुये प्रतिवादी नम्बर 3 के दादाजी को वादग्रस्त भूमि का खातेदार टीनेन्ट घोषित कर दिया और उक्त निर्णय की पालना में जरिये इन्तकाल नम्बर 84 दिनांक 29.9.1970 को वादग्रस्त भूमि माधो जी शंकर जी व पांच्या जी के खाते में दर्ज करदी गई। इस प्रकार प्रतिवादीगण के पूर्वज एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर विधिवत रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।
- तहसील लाडपुरा में सम्वत 2038 में हुये सेटलमेन्ट में सेटलमेन्ट विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी से हटाकर भूमि मंदिर सरस्वतीनाथ मंदिर के खाते में दर्ज करदी, जब कि उसे इस प्रकार से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज बदलने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, क्योंकि पूर्व का इन्द्राज सक्षम न्यायालय अर्थात उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय एवं डिक्री के तहत दर्ज किया गया था।
- गोपालनाथ का वादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है और न वह पुजारी है और न ही व्यवस्थापक है, क्योंकि सरस्वतीनाथ का न तो कोई मूर्ति है न ही कोई मंदिर है। वाद पत्र में वर्णित सम्पूर्ण कहानी मिथ्या एवम् मनगढन्त है।
- वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व खातेदार मोत्यां बाई द्वारा घोषणा खातेदारी एवं बेदखली आराजी का वाद ग्रतिवादीगण क्रम 3 के पूर्वजों के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 15.12.1969 को निर्णित करते हुये निरस्त कर दिया गया और इस प्रकार उकत निर्णय वादग्रस्त भूमि एवम् प्रतिवादीगण के विरूद्ध रेसजुडिकेटा का असर रखता है तथा यह दूसरा वाद प्रस्तुत करने का न तो कोई अधिकार प्राप्त है और न ही यह वाद चलने योग्य है।
- वाद कारण वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी अनुचित तरिके से प्रतिवादी के पूर्वजो माधो, शंकर, पांच्या तथा उनके बाद प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 3 का नाम हटाकर उसे मूर्ति मंदिर सरस्वतीनाथ के खाते मे दर्ज कर देने तथा उक्त त्रुटि पूर्ण इन्द्राज के आधार पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने पर उत्पन्न हुआ है।
- **अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि** वादी मय खर्चा निरस्त किया जाकर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री प्रदान की जावे कि प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि के खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड मे से वादी का नाम हटाया जाकर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
को.

मृतक प्रतिवादी–6 के कायम मुकाम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद–पत्र एवं काउन्टर क्लेम का निम्नानुसार जवाब प्रस्तुत किया गयाः–

प्रार्थी द्वारा काउन्टर क्लेम को अस्वीकार कर निवेदन किया गया है कि वह –

1. सवंत् 2004–2007 तक मे माफी मंदिर सारस्वती नाथ कब्जा मोत्या बाई का बहैसियत पुजारी चला आ रहा है तथा मंदिर की जमीन को किसी भी प्रकार से अन्य के नाम दर्ज नही किया जा सकता।
2. प्रश्नगत आराजी पर प्रारम्भ से ही गोगानाथ जी का, मोत्या बाई का और उसकी मृत्यु के बाद संरक्षक गोपाल नाथ आत्मज धन्ना नाथ का कब्जा चला आ रहा है।
3. दिनांक 24.05.2021 को महकमा खास द्वारा गोगानाथ की मृत्यु के बाद उनकी पुत्री मोत्या बाई को बहेसियत पुजारी उनके स्थान पर नाम दर्ज किया गया था और भूमि माफी मंदिर सरस्वतीनाथ के नाम चली आ रही है।
4. जागीर रिजम्सन एक्ट उन व्यक्तियों पर लागु हुआ था जो जागिरदार की भूमि पर उपकृषक थे ना कि मंदिर माफी की जमीन पर। इसी लिए गत सेटलमेंट से पूर्व संवत 2016–24 मे माफी मंदिर सरस्वतीनाथ विराजमान उम्मेजगंज मोत्या बाई बेवा गोपाल नाथ दर्ज रिकोर्ड था
5. मंदिर माफी की जमीन पर पातिदार या मुनाफाकाश्त कार को अपना नाम दर्ज कराने का कोई अधिकार नही हे। मंदिर की जमीन सिर्फ मंदिर की ही रहेगी। राज्य सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी कर मंदिरों के पुजारियों का कोई अधिकार जमीन पर नही माना है और ना ही किसी पातीदार या मुनाफेदार का हक ही माना गया हे। उक्त मृतक के एलआर भी उसी श्रेणी मे आते है। और मृतक के वारिसान का कोई प्राइमाफेसी केस नही हे।
6. मंदिर माफी की भूमि पर किसी भी काश्तकार का नाम ना तो उपकृषक के रूप मे दर्ज किया जा सकता है। और ना ही खातेदार के रूप मे दर्ज किया जा सकता है। और नाही खातेदारी प्रदान की जा सकती है। माफी मंदिर की जमीन पर मंदिर का ही मालिकाना हक व स्वामित्व माना गया है। इसलिए प्रतिवादी उक्त भूमि पर अतिक्रमण की तारीफ मे आता है। और अतिक्रमी को बेदखल करने कर वादी को अधिकार प्राप्त है।
7. संवत 2004 से 2007 की खाते की नकल मे स्पष्ट उल्लेख है कि माफीदार मोत्या बाई जीवित है तथा सेवा पुजा ठीक से कर रही है। मंदिर गांव बाहर तालाब पर पक्का व अच्छी दशा मे है।
8. वादी को प्रतिवादी जो कि अतिक्रमी है, उसके विरूद्ध बेदखली व निषेधाज्ञा का वाद लाने का पूरा–पूरा अधिकार प्राप्त है।
9. प्रतिवादी नम्बर 6/1 लगयात 6/6 को काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है बल्कि उनकी हैशियत अतिक्रमी की है। जिनके विरूद्ध वाद लाने का वादी को पूर्ण अधिकार है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

इस प्रकार वादी द्वारा काउन्टर क्लमे का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी 6/1 लगयात 6/6 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अस्वीकार कर दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी गण सव्यय डिक्री किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि आज भी हस्तगत आराजी खसरा नम्बर 186, 187, 236, 468 कुल रकबा 5.98 है0 मंदिर सरस्वती नाथ जी के नाम दर्ज रिकोर्ड है। मंदिर माफी की भूमि पर ना तो कब्जा किया जा सकता है और ना ही खातेदार घोषित किया जा सकता है। प्रार्थीगण पुजारी है अप्रार्थीगण को भूमि मुनाफे पर दी गई थी, अप्रार्थीगण द्वारा भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। तथा सन् 2005 से मुनाफा राशि का भुगतान भी नही किया गया है। अतः अप्रार्थीगण को बेदखल करने के साथ अप्रार्थीगण से वर्ष 2005 से आज तक का मुनाफा भी दिलाया जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा निम्न कानूनी नजीरे भी पेश की गई ।

1. आरआरटी 2004 (ा पेज 1061 से 1063)
2. आरआरटी 2004 (ा पेज 1244– 1246)
3. आरआर 2006 (ा पेज 467– 470)
4. आरएलडब्ल्यू 2001 (ा पेज 966 से 968)
5. आरबीजे 2006 (243 से 245)

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि कौन से साल मे मुनाफे पर दिया गया, कितनी राशि मे दिया गया, बाबत कोई वर्णन नही किया गया है। प्रतिवादी गण के पूर्वजों का माफी रिज्यूम होने के पहले से ही उक्त आराजी पर कब्जा था। 01.07. 1963 को माफी रिज्यूम हुई, उस दिन प्रतिवादीगण काबिज काष्त थे, यह 15.12. 1969 के उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय से प्रमाणित हो जाता है भू प्रबंध विभाग द्वारा जमाबंदी मे त्रुटीपूर्ण तरीके से प्रविष्टियों को परिवर्तित कर भूमि मंदिर मांफी के नाम दर्ज की गई है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवष्यक है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा बहस वकुलाय फरिकेन पर गंभीरता पुर्वक मनन किया।
प्रकरण मे तनकी वाद विवेचन निम्नप्रकार है:–

तनकी नम्बर 1 – आया वादपत्र की मद संख्या 3 मे वर्णित आराजी माफी मंदिर सरस्वतीनाथ के खाते की जमीन है जिस पर प्रतिवादीगण बतौर अतिक्रमी काबिज है और वादी प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है,

संलग्न वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर 186 187 236 468 ग्राम खेडा रसूलपुर माफी मंदिर सरस्वती नाथ जी के खाते दर्ज रिकोर्ड है। विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो से यह तथ्य पूर्व स्थापित है कि मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है। अतः जमाबंदी की प्रविष्टीयों के आधार पर वर्तमान मे भूमि माफी मंदिर सरस्वती नाथ जी के खाते दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण सहित किसी भी व्यक्ति को मंदिर की भूमि पर रहन रख कर्ज लेने का कोई अधिकार प्राप्त नही है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा समस्त राजस्व विधियों मे यह स्थापित तथ्य है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है। मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण या अवैध निर्माण कानूनन निषिद्ध है, मंदिर मूर्ति की भूमि की सुरक्षा राज्य सरकार का दायित्व निर्धारित किया गया है।

हस्तगत प्रकरण मे वर्तमान जमाबंदी अनुसार भूमि मंदिर मूर्ति सरस्वती नाथ जी के नाम दर्ज रिकोर्ड है। जिस पर किसी भी पक्ष को अवैधानिक रूप से अतिक्रमण का कोई अधिकार प्राप्त नही है। हस्तगण प्रकरण मे वर्णित भूमि के टाईटल बाबत प्रश्न का निर्धारण पृथक तनकी मे किया गया है। हमारे विनम्र मत मे भूमि के टाईटल का प्रश्न अंतिम रूप से निर्धारित होने पर ही यह सुनिश्चित हो पायेगा कि हस्तगत प्रकरण मे भूमि मंदिर माफी की है या प्रतिवादीगण की। अतः हस्तगत प्रकरण मे स्थाई निषेधाज्ञा का प्रश्न खातेदार के निर्धारण उपरांत ही निर्धारित किया जाना न्यायसंगत है।

तनकी नम्बर 2– आया वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर सरस्वतीनाथ जी के खाते की ना होकर जीवित व्यक्ति सरस्वती नाथ को माफी मे प्राप्त आराजी है, जिस पर प्रतिवादीगण के पूर्वज बैहेषियत सबटिनेन्ट काबिज काश्त होकर माफी रिज्युम होने से कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त कर चुके है ?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी गण पर है।

पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों जमाबंदी संवत 2004–2007 से यह स्पष्ट होता है कि भूमि माफी मंदिर श्री सरस्वतीनाथ जी के नाम दर्ज थी प्रतिवादी द्वारा यह वर्णित किया गया है कि सरस्वतीनाथ जी एक जीवित व्यक्ति थे लेकिन इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए कोई सबूत, साक्ष्य, सहादत प्रस्तुत नही की गई है।

प्रतिवादी गण द्वारा परगना अधिकारी कोटा का निर्णय दिनांक 15.12.69 दावा धारा 183 व धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवान मोत्या बाई बनाम माधो, शंकर, पाच्या पुत्रान गोपाल प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय परगना अधिकारी द्वारा अपने निर्णय से प्रतिवादीगण को खातेदार टिनेन्ट घोषित किया गया था उक्त निर्णय की पालना मे इन्तकाल नम्बर 84 दर्ज कर माफी मंदिर श्री सरस्वती नाथ जी विराजमान के नाम दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

आराजी दिनांक 29.03.1970 को माधो, शंकर पाच्या पुत्रान गोपाल के नाम दर्ज की गई थी। परगना अधिकारी का निर्णय प्रदर्ष डी 1 है। तथा इंतकाल नम्बर 84 प्रदर्ष डी 2 है।

प्रतिवादीगण का कथन रहा है कि भू प्रबंध विभाग द्वारा हस्तगत आराजी अवैधानिक रूप से प्रतिवादीगण के नाम से हटाकर दौराने भू प्रबंध संवत् 2038–2057 माफी मंदिर श्री सरस्वती नाथ जी के नाम दर्ज कर दी गई। प्रतिवादी गण के उक्त कथन के संदर्भ मे हमने भू प्रबंध नियमावली व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया।"

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अध्याय 07 में सर्वेक्षण एवं अभिलेख कार्य का प्रावधान किया गया है। जिसे संबंधित धाराऐं निम्न प्रकार है :–

धारा 106. सर्वेक्षण अथवा पुनसर्वेक्षण :– राज्य सरकार में अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र के सर्वेक्षण अथवा पुनसर्वेक्षण का निर्देश कर सकती है और ऐसा प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र उक्त अधिसूना की तारीख से सर्वेक्षण एवं अभिलेख कार्यों के अधीन रहेगा जब तक दूसरी अधिसूचना निकाली जाकर ऐसे कार्य का बन्द किया जाना घोषित नही कर दिया जाए।

धारा 107. अभिलेख कार्य :– राज्य सरकार, इसी प्रकार किसी स्थानीय क्षेत्र, जिसका कि सर्वेक्षण हो चुका है, के संबंध में निर्देष कर सकती है कि ऐसे स्थानीय क्षेत्र के अभिलेखों को सामान्यतः अथवा आंषिक रूप से दोहराया जाएगा और उस पर ऐसा स्थानीय क्षेत्र अभिलेखन कार्य के अधीन तब तक रहेगा जब तक ऐसे कार्य उसी प्रकार बन्द नही कर दिए जावें।

धारा 108. अभिलेख अधिकारी :– राज्य सरकार धारा 106 या 107 के अधीन अधिसूचना जारी करके –

(प) उसमें निर्दिष्ट कार्यों का प्रभारी होने के लिए एक अतिरिक्त भू अभिलेख अधिकारी जब तक कि ऐसे कार्यो के अधीन लाये गये क्षेत्रों के लिए कोई स्थायी अतिरिक्त लैंड रेकॉर्ड आफिसर नियुक्त नही कर दिया जाए, और

(पप) इतने असिस्टेन्ट लैंड रेकॉर्ड्स आफिसर नियुक्त कर सकेगी जो उसको उचित प्रतीत हों।

धारा 109. कार्यों को चलाने का तरीका :– धारा 106 व 107 में निर्दिष्ट कार्य डाइरेक्टर लैंड रेकॉर्ड्स के प्रभार में रहेंगे और राज्य सरकार द्वारा विहित विधि से चलाए जाऐगें।

- भू प्रबंध की कार्यवाही संपादित करने हेतु तथा संबंधित कार्मिकों के दायित्व निर्धारण हेतु राजस्व भू प्रबंध भाग 02 में प्रावधान किये गये हैं। जिसमें सहायक

उपखण्ड अधिकारी
को.

अभिलेख अधिकारी एवं सहायक भू प्रबंध अधिकारी के कार्यों को बिन्दु संख्या 01 से 24 तक वर्णित किया गया हैं। जिसके अनुसार –

14 प्राप्त आपत्तियों (उजर दारियों) का निस्तारण।

15 निर्णित पत्रावलियों की क्रियान्विति (अमल दरामद) सुनिश्चित करना।

16 नामान्तकरण व पत्रावलियों से स्वीकृत परिवर्तनों की जांच कर उन्हे सत्यापित करना।

- भू प्रबंध आयुक्त द्वारा जारी आदेश जनरल/10/73/भूकर/भूप्रआ/76/793 दिनांक 12.04.1973 जो समस्त भू प्रबंध अधिकारियों को प्रेषित किया गया था, में अभिलेख लेखन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किये गये है। जिसके अनुसार –

बिन्दु संख्या 04 – "बरवक्त पर्चे तरदीक, पर्चे की पुस्त पर बयान लेकर ऐसे इन्द्राज की दुरूस्ती की जावे जो सीधी विरासत के हो। अन्य दुरूस्तियां जो विवादग्रस्त हो उनकी इन्द्राज दुरूस्ती मिसल बनाकर ही की जावें।"

बिन्दु संख्या 05 – प्रमाणिकृत पर्चा खतोनी और निर्णित उजरदारियों के इन्द्राज के अनुसार मोके खसरे के वर्तमान कृषक के खाते में, दुरूस्त की जावें।

बिन्दु संख्या 06 – प्रमाणिकरण के समय पर्चा खतोनी में जो दुरूस्तियां की जावे वे कृषक को वितरण की गई प्रति में भी तुरन्त कर दी जावें ताकि कृषक को उसके वर्तमान और संषोधित अथवा परिवर्तित इन्द्राज के संबंध में पूर्ण जानकारी रहें।

बिन्दु संख्या 07 – प्रमाणिकरण के समय प्राप्त उजरदारियों का निपटारा हर हालत में लगानी पर्चों के वितरण से पूर्व कर दिया जावें।

- राज्य सरकार तथा भू प्रबंध आयुक्त द्वारा दौराने सेटलमेंट की जाने वाली कार्यवाही के लिए भू प्रंबध नियमावली बनाई गई है जिसके अध्याय 08 में आपत्तियों तथा अपीलों की सुनवाई एवं अमल दरामद हेतु नियम बनाये गये है। जिसके अनुसार भू प्रंबध अधिकारी एवं सहायक भू प्रबंध अधिकारी अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में न्यायालयों के अधिकारियों के रूप में कार्य करते है। बंदोबस्त के न्यायालय राजस्व न्यायालय है। जिनके संचालन हेतु राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मेनुअल के प्रावधान पूर्णतया लागू होते है।
- अध्याय 08 के नियम 04(02) में वर्णित किया गया है कि भू प्रबंध अधिकारी/सहायक भू प्रबंध अधिकारी द्वारा 25 (04) के अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम अथवा अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में उन सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकेगें तथा उन सभी कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम होगें जो उन्हे उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त होते है। अतऐव राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उसमें उल्लेखित विवादों के निर्णय का अधिकार उन्हे धारा 123 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होता है और उनके निपटारे के लिए वह सक्षम है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

- अध्याय 08 के नियम 06 में अपीलों की सुनवाई का प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के प्रावधानों के अन्तर्गत सहायक भू अभिलेख अधिकारी अथवा सहायक भू प्रबंध अधिकारी के आदेषों की प्रथम अपील भू प्रबंध अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होती है। सहायक भू प्रबंध अधिकारी द्वारा कोई परिषोधन तस्दीक किया गया हो, पर्चा खतौनी तस्दीक किया हो, कोई अन्य न्यायिक आदेष दिया हो अथवा उजरदारी की मिसल में निर्णय किया गया हो, सभी आदेषों की प्रथम अपील भू प्रबंध अधिकारी द्वारा श्रवण की जायेगी।
- अध्याय 08 के नियम 10 में निर्णयों के अमल दरामद का प्रावधान किया गया है। जिसके अनुसार निर्णयों का अमल दरामद शीघ्र अति शीघ्र करवाने का कर्तव्य सहायक भू प्रबंध अधिकारी का है। स्वयं के न्यायालय से अथवा अपीलीय न्यायालय से अथवा राजस्व मण्डल से निर्णय प्राप्त होते ही उसका अमल दरामद करवा देना चाहिए।

पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, न्यायिक दृष्टान्तों तथा विभिन्न विधिक प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के उपरान्त राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 106 व 107 में निर्दिष्ट कार्य भू प्रबंध विभाग द्वारा ही सम्पादित किये जाते है अर्थात् भू प्रबंध की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त समस्त राजस्व कार्य भू प्रबंध विभाग द्वारा ही सम्पादित होते है। राजस्व भू प्रबंध भाग 02 के प्रावधानों में सहायक भू प्रबंध अधिकारी के कार्यों में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण तथा निर्णित पत्रावलियों का अमल दरामद सुनिश्चित करना अनिवार्य कार्य माना गया है। भू प्रबंध नियमावली में भी यह स्पष्ट किया गया है कि भू प्रबंध अधिकारी एवं सहायक भू प्रबंध अधिकारी अपने–अपने अधिकार क्षेत्रों में न्यायालयों के अधिकारी के रूप में कार्य करेगें। बंदोबस्त के न्यायालय राजस्व न्यायालय ही माने गये है। जिनके संचालन पर राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मेनुअल के प्रावधान पूर्णतया लागू होते है। भू प्रबंध नियमावली में यह भी स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय निर्णय का शीघ्र अति शीघ्र अमल दरामद का कार्य सहायक भू प्रबंध अधिकारी की जिम्मेदारी होगा।

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दौराने भू प्रबंध किये गये निर्णय पूर्णतया न्यायिक निर्णय होते है। जिसकी पालना किया जाना न्यायिक रूप में अनिवार्य होता है। यदि कोई पक्षकार न्यायालय सहायक भू प्रबंध अधिकारी के न्यायिक निर्णय से असहमत हो तो भू प्रबंध नियमावली के अध्याय 08 के नियम 06 के अनुसार सुनवाई हेतु किये गये प्रावधानों के अनुरूप अपील करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि किसी भी पक्षकार द्वारा आदिनांक तक भू प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट के किये गये निर्णय के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नही की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
को.

यदि भू प्रबंध विभाग द्वारा कोई त्रुटी की गई तो यह एक न्यायिक निर्णय की श्रेणी मे आती है। जिसे दुरूस्त करवाने हेतु अपील की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। हस्तगत प्रकरण मे प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम इसीलिए कोई वैधानिकता नही रखता क्योंकि उनके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नही किया गया।

लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत परगना अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 15.12.69 अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से यह प्रमाणित होता है कि न्यायालय परगना अधिकारी कोटा द्वारा प्रश्नगत आराजी पर प्रतिवादीगण को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया गया था उक्त निर्णय की पालना मे नामान्तकरण संख्या 84 दिनांक 29.03.70 से प्रश्नगत आराजी माफी मंदिर श्री सरस्वती नाथ जी विराजमान के नाम से हटाकर माधो, शंकर पाच्या पुत्रान गोपाल के नाम दर्ज की गई थी। यहा से लेकर सेटलमेंट सवंत् 2038 से 2057 तक प्रष्नगत आराजी प्रतिवादीगण के खाते दर्ज रही। पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी संवत् 2038 से 2057 से प्रमाणित होता है कि भू प्रबंध विभाग द्वारा प्रश्नगत आराजी को प्रतिवादीगण के खाते से हटाकर निम्नानुसार दर्ज किया गया– "मंदिर श्री सरस्वतीनाथ जी विराजमान खातेदार उपकृषक शंकर पुत्र गोपाल व रघुनाथ पुत्र माधो, रामकन्या बेवा माधो, व पांचु पुत्र गोपाल"

स्पष्टतया भू प्रबंध विभाग द्वारा प्रश्नगत आराजी को प्रतिवादीगण के खाते से हटाकर मंदिर श्री सरस्वतीनाथ जी विराजमान के खाते दर्ज किया गया लेकिन साथ मे प्रतिवादीगण के नाम उपकृषक के रूप मे दर्ज किये गये थे। जमाबंदी मे उपकृषक के रूप मे दर्ज प्रतिवादीगण के नाम कब व किस प्रकार हटाया गया इस बाबत उभयपक्ष द्वारा पत्रावली पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया।

उक्त विवेचन से यह प्रमाणित हो जाता है कि न्यायालय परगना अधिकारी कोटा के आदेष दिनांक 15.12.1969 की पालना मे भूमि प्रतिवादीगण के खाते दर्ज हुई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट होता है कि परगना अधिकारी के निर्णय 15.12.1969 के विरूद्ध अपील किसी भी सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत नही करने के कारण परगना अधिकारी का निर्णय 15.12.1969 आज भी अंतिम है। इस प्रकार वादी यह प्रमाणित करने मे असफल रहे है कि प्रतिवादी व उसके कायम मुकामात का मंदिर की जमीन मे कोई हक नही बनता अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी नम्बर 3– आया वादग्रस्त आराजी के संबन्ध मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.1969 का प्रस्तुत वाद पर क्या असर है?

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण है।

पत्रावली मे संलग्न न्यायालय परगना अधिकारी कोटा के मिसन संख्या 190/261 मे पारित आदेश दिनांक 15.12.1969 से यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 10.05.1967 को मोत्या बाई पुत्री गोगानाथ द्वारा माधु, शंकर, पाच्या पिसरान गोपाल कोम काछी के विरूद्ध धारा 183 व धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया गया था

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उक्त वाद न्यायालय परगना अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 15.12.1969 को निर्णित किया गया था उक्त निर्णय मे पारित डिक्री द्वारा न्यायालय परगना अधिकारी द्वारा प्रश्नगत आराजी पर प्रतिवादीगण को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया गया था तथा दावा मय खर्चा खारिज किया गया था।

पत्रावली के अवलोकन से पुनः प्रमाणित होता है कि गोपाल नाथ आत्मज धन्ना नाथ द्वारा प्रकरण संख्या 2005/0047 रघुनाथ कुशवाह, रामनारायण, गोरधन व कौशल के विरूद्ध वाद अन्तर्गत धारा 183, धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 27.09.2005 को प्रस्तुत किया गया था। सन् 2005 मे प्रस्तुत हस्तगत वाद मे वादीगण मोत्या बाई के वारिसान के रूप मे तथा प्रतिवादीगण सन् 1965 के वाद के प्रतिवादीगण के वारिसान के रूप मे रिकोर्ड पर है।

सन 2005 मे प्रस्तुत हस्तगत वाद पर परगना अधिकारी के निर्णय दिनांक 15.12.1969 के प्रभाव के आंकलन हेतु धारा 11 सीपीसी से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। धारा 11 सीपीसी अनुसार –

"No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially issue in a former sit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue had been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court."

स्पष्टया धारा 11 सीपीसी यह प्रमाणित करती है कि यदि किसी मामले पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा चुका है तो उसी मुद्दे पर बाद मे कोई दुसरा मुकदमा उसी न्यायलय के नही चलाया जा सकता। धारा 11 किसी भी न्यायालय को ऐसे मामले पर विचार करने की अनुमति नही देती है जिस पर पहले ही उसी न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा चुका हो।

ऐसा निर्णय किसी भी पक्ष के बीच या उनके उत्तराधिकारियों के बीच किसी पूर्व वाद मे सीधे और ठोस रूप से तय कर दिया गया हो। धारा 11 सीपीसी से यह प्रमाणित है कि हस्तागत प्रकरण रेसजुडीकेटा से प्रभावित है तथा इस न्यायालय को प्रश्नगत वाद को सुनने का अधिकार प्राप्त नही है। अतः तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी नम्बर 4– आया भूप्रबंध विभाग द्वारा वाद वर्णित आराजी को गलत रूप से प्रतिवादीगण के खाते से हटाकर मूर्ति मंदिर के खाते दर्ज की गई है जिससे प्रतिवादीगण खातेदार टीनेन्ट घोषित किये जाने के अधिकारी है?

तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उक्त तनकी के संबंध मे विस्तृत विवेचन तनकी नम्बर 2 मे किया जा चुका है। भू प्रबंध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही है जिसमे अपील का क्रम निर्धारित किया गया है।

धारा 136 केवल लिपीकिय त्रुटियों तथा उभयपक्षकारान की सहमति से रिकोर्ड दुरूस्ती का प्रावधान करती है। लेकिन हस्तगत प्रकरण मे प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम उक्त श्रेणी मे नही आता। अतः प्रतिवादीगण तनकी नम्बर 2 मे किये गये विवेचनानुसार भू प्रबंध विभाग द्वारा प्रविष्टीयों मे किये गये परिवर्तन को दुरूस्त कराने हेतु स्वतन्त्र है।

तनकी नम्बर 5 –आया वाद अवधि बाधित है ?

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

दौराने वाद इस तनकी पर उभयपक्षकारान द्वारा कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया गया और ना ही दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी के संदर्भ मे कोई कथन किया गया। उक्त परिस्थितियों मे यह न्यायालय इस तनकी पर कोई अंतिम कथन किया जाना न्यायोचित नही पाता।

उक्त विवेचानानुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि जमाबंदी संवत 2004–2007 के अनुसार उक्त आराजी माफी मंदिर श्री सरस्वती नाथ जी खातेदार मोत्या पुत्री गोगानाथ के खाते दर्ज रिकोर्ड थी। न्यायालय परगना अधिकारी द्वारा मिसल संख्या 190/261 मे पारित आदेष दिनांक 15.12.1969 से उक्त आराजी प्रतिवादीगण के पूर्वजों की खातेदारी मे दर्ज हुई जो भू प्रबंध कार्यवाही संवत 2038 से 2057 तक प्रतिवादीगण के पूर्वजो के खाते दर्ज रही। भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान तैयार जमाबंदी संवत 2038 से 2057 मे भू प्रबंध विभाग द्वारा उक्त आराजी को मंदिर श्री सरस्वतीनाथ जी विराजमान उपकृषक पूर्वज प्रतिवादीगण दर्ज किया गया। भू प्रबंध कार्यवाही संवत 2038–2057 के उपरांत जमाबंदी मे उपकृषक के रूप मे दर्ज प्रतिवादीगण का नाम कब व किस आधार पर हटाया गया यह रिकोर्ड पत्रावली पर उपलब्ध नही है। वर्तमान जमाबंदी अनुसार हस्तगत आराजी माफी मंदिर श्री सरस्वती नाथ जी विराजमान के नाम दर्ज रिकोर्ड है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद रेसजुडीकेटा से प्रभावित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि वे भू प्रबंध विभाग द्वारा किये गये परिवर्तनों की शुद्धि हेतु सक्षम न्यायालय मे चाराजोरी करे।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी कोटा